कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

ठेका / नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 12.03.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में **एक चाय-कैंटीन, एक फल-चाट की दुकान, पाँच फोटोस्टेट मशीन की दुकान, एक फोटोग्राफी की दुकान** एवं **एक चना-चबैना की दुकान** के ठेका की नीलामी दिनांक **21.03.2025** को समय सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय, अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में होगी। ठेका लेने के इच्छुक व्यक्तियों को हैसियत, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। **बतौर जमानत धनराशि मु० 30,000/- रूपये** का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट **'District Judge, Aligarh'** के पक्ष में देय होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी वह नियत प्रारूप पर एक संविदा 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा। उक्त दुकानों के ठेका की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://aligarh.dcourts.gov.in** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** के माध्यम से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक:- 12.03.2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
3. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़।

संलग्नक – 1

नीलामी समिति

जिला न्यायालय, अलीगढ़।

दुकान/ठेका नीलामी वर्ष 2025–26 के लिए नियम व शर्तें :–

1– यह दुकान/ठेका की नीलामी दिनांक **01.04.2025** से **31.03.2026** तक के लिए वैध होगी।

2– दुकान/ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक **21.03.2025** को सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय, अलीगढ़ परिसर के **लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में सम्पादित होगी।

3– सम्बन्धित ठेका/दुकान की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि ही ठेका/दुकान की इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी।

4– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6– ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रूपये 30,000/– (तीस हजार मात्र) की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्मम से जमा करनी होगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं आवंटित होता है, तो जमानत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाचयेगा।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ को होगा।

8– माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेके की नीलामी राशि वर्ष 2024–25 की नीलामी राशि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।

10– आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :–

(क) नीलामी प्रक्रिया में आवेदन करने हेतु जमानत धनराशि रूपये 30,000/– का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट **'District Judge, Aligarh'** के पक्ष में देय होगा, अन्य किसी माध्यम से जमानत धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ख) कुल अवशेष धनराशि आवंटन के तीन माह के अन्दर जमा की जायेगी।

11– आवंटी किसी भी दशा में उसे आवंटित दुकान/ठेके को किसी अन्य को न ही स्थानान्तरित कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकता है।

12– प्रत्येक आवंटी/दुकानदार अपनी दुकान ठेके में उन्हीं वस्तुओं की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी आवंटी/दुकानदार को अपने हॉकर द्वारा

न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर सामानों की बिक्री कराये जाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

13– प्रत्येक आवंटी/दुकान को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपनी दुकान/ठेकों को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटी किसी सहायक को रखकर अपना काम कराता है तो उसका आधार कार्ड की छायाप्रति पहचान पत्र के तौर पर जमा करेगा।

14– वर्ष 2025–26 के लिए आवंटित दुकानों/ठेकों का आवंटन दिनांक 31.03.2026 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्तकर्ता प्रत्येक आवंटी/दुकानदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण कार्य आवश्यक हो तो जिला न्यायाधीश महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा एवं उसे वह दिनांक 31.03.2026 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेके का आवंटन माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15– आवंटी द्वारा सरकार/नगर निगम/अन्य स्थानीय निकायों को देय किसी भी कर/फीस/व्यय का भार स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु न्यायिक प्रतिष्ठान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16– ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला अलीगढ़ होगा।

12/3/25
(प्रदीप कुमार राम)
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, (पोक्सो)
कोर्ट सं०-02, अलीगढ़ ।

12/3/25
(ऋषि कुमार)
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-05,
अलीगढ़ ।

12.03.2025
(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।